दिनांक 10.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 10/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा रात्रि गश्त व फुट पेट्रोलिंग (Foot Patrolling) के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को रात्रि गश्त व फुट पेट्रोलिंग (Foot Patrolling) के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

- सभी थाना/चौकी क्षेत्र के प्रमुख चौराहों, बाजारों, शापिंग मॉल, बस स्टैण्ड/रेलवे स्टैण्ड/पार्क इत्यादि के आस–पास प्रत्येक दिवस **पैदल गश्त (Foot Patrolling)** अनिवार्य रूप से की जाये।
- प्रत्येक जनपद में थानावार आपराधिक घटनाओं के हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिये जाये। इनकी **मैपिंग** करते हुये प्रभावी गश्त, फुट पेट्रोलिंग व चेकिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- थाना क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों, विशेषकर पुल, पुलिया, नहर, नदी, नाले के किनारे के रास्ते, बाग व जंगल से गुजरने वाले रास्तों को चिन्हित करते हुये रात्रि गश्त किया जाये।
- संवेदनशील राजमार्गो पर गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में **पेट्रोलिंग वाहन** लगाये जाये, इसके अतिरिक्त अन्य संवेदनशील स्थानों पर **पुलिस पिकेट्स** लगायी जाये।
- महत्वपूर्ण स्थलों पर **सीसीटीवी कैमरों** का व्यवस्थापन कराया जाये।

- जनपद के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि गश्त व चेकिंग हेतु प्रत्येक दिन रोस्टरवार एक क्षेत्राधिकारी की ड्यूटी लगायी जाये। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाये।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समय–समय पर स्वयं भ्रमणशील रहकर रात्रि गश्त पार्टियों की **रेन्डम चेकिंग** सुनिश्चित की जाये।
- राजपत्रित पुलिस अधिकारी/थाना प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्र में प्रतिदिन सायं **भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों/कस्बों/बाजार में फुट पेट्रोलिंग** (Foot Patrolling) की जाये।
- बालिकाओं के स्कूलों/कालेजों एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं इत्यादि के खुलने/बन्द होने के समय प्रभावी पैदल गश्त करते हुये संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जाये।
- महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश में सक्रि**य पिंक वाहन मोबाइल तथा यूपी–112 वाहनों** का समुचित प्रयोग कर सघन एवं प्रभावी पेट्रालिंग करायी जाये।
- पैदल गश्त के दौरान समस्त अधिकारियों/पुलिस कर्मियों द्वारा **जनसंवाद** के साथ–साथ क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्तियों से मोबाइल नम्बरों का आदान–प्रदान किया जाये।

जनपद गोरखपुर/थाना गगहा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त घायल, इलाज के दौरान मृत**
- **02 अवैध पिस्टल विभिन्न बोर, 02 जीवित 04 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09/10.09.2021 की रात्रि थाना गगहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विजय घायल हो गया, जिसके कब्जे से 02 अवैध पिस्टल विभिन्न बोर, 02 जीवित 04 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल अभियुक्त विजय को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। जहाँ इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त विजय हिस्ट्रीशीटर अपराधी था, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर, बाराबंकी व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है। मृत अभियुक्त विजय की गिरफ्तारी हेतु गोरखपुर जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गगहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1—विजय निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—02 अवैध पिस्टल विभिन्न बोर, 02 जीवित 04 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शामली/थाना भवन

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण व नगदी**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना भवन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगोह रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीरज उर्फ रजनीश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण व नगदी, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भवन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नीरज उर्फ रजनीश निवासी नसीरपुर थाना मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लूट के सोने के आभूषण व नगदी।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना मोहम्मदी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 10.09.2021 को थाना मोहम्मदी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कठीना नदी जंगल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त इन्द्रपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मोहम्मदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2021 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इन्द्रपाल निवासी मो0 इस्लामाबाद कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना लालगंज

- **25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.09.2021 को थाना लालगंज व एण्टी नारकोटिक्स की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महसो तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शमशाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शमशाद निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

जनपद प्रतापगढ़/ थाना कुण्डा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.09.2021 को थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिकवन टोला के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शहबान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहबान निवासी मौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 ग्राम सोने के आभूषण**
- **चोरी के 03 किलोग्राम चाँदी के आभूषण**
- **08 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमुका तिराहे के पास पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1–रघुवीर 2–पंकज 3–मंगल 4–पंकज उर्फ नेमपाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 ग्राम सोने के आभूषण, चोरी के 03 किलोग्राम चाँदी के आभूषण, 08 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03/04.09.2021 को थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रोजा पर मु0अ0सं0 538/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने–चाँदी के आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रघुवीर निवासी रमपुरा थाना पसगवां जनपद खीरी।

2–पंकज निवासी रमपुरा थाना पसगवां जनपद खीरी।

3–मंगल निवासी रमपुरा थाना पसगवां जनपद खीरी।

4—पंकज उर्फ नेमपाल निवासी लक्ष्मणपुर थाना बाण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 10 ग्राम सोने के आभूषण।

2—चोरी के 03 किलोग्राम चाँदी के आभूषण।

3—08 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के चोरी के ट्रान्सफार्मर/ ट्रान्सफार्मर तेल/ विद्युत तार आदि**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बडकली रोड के पास से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—ताहिर 2—अनीस 3—नईम को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के चोरी के ट्रान्सफार्मर/ट्रान्सफार्मर तेल/विद्युत तार आदि, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–ताहिर निवासी मो0जैननगर थाना खतौली, हालपता मिलाना रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2–अनीस निवासी मो0जैननगर थाना खतौली, हालपता मिलाना रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

3–नईम निवासी दारूदगीरान सोहराबगेट थाना कोतवाली नगर जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के चोरी के ट्रान्सफार्मर/ट्रान्सफार्मर तेल/विद्युत तार आदि।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस।

3–01 चार पहिया वाहन।

<u>जनपद देवरिया/थाना खामपार</u>

- **07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 चार पहिया व 22 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना खामपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से 07 अभियुक्तों 1–अवधेश 2–तिलावत 3–रंजन 4–विशाल कुमार 5–गौतम कुमार 6–जीऊत कुमार 7–निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 चार पहिया व 22 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो उ0प्र0 व बिहार प्रान्त से चार पहिया/ दो पहिया वाहनो की चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना खामपार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अवधेश निवासी शिवराजपुर थाना खामपार जनपद देवरिया।

2—तिलावत निवासी भिंगारी बाजार थाना खामपार जनपद देवरिया।

3—रंजन निवासी भिंगारी बाजार थाना खामपार जनपद देवरिया।

4—विशाल कुमार निवासी पकड़ी बाबू थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया।

5—गौतम कुमार निवासी धरमखोर करन थाना खामपार जनपद देवरिया।

6—जीऊत कुमार निवासी पकड़ी बाबू थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया।

7—निजामुद्दीन निवासी छपरा थाना बनकटा जनपद देवरिया।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 05 चार पहिया वाहन।

2—चोरी के 22 दो पहिया वाहन।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 11 दो पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचे 12 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 09/10.09.2021 को थाना खुर्जा देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोयल रिसोर्ट के पास चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1—आमिर 2—बबलू उर्फ बब्लू को गिरफ्तार किया गया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 दो पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचे 12 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व विभिन्न जनपदो से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आमिर निवासी मो0 रिसालदारान कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2—बबलू उर्फ बब्लू निवासी सद्दीक नगर कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी के 11 दो पहिया वाहन।

2—02 अवैध तमंचे 12 बोर, 04 जीवित कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना लोनी

- **05 अभियुक्तों गिरफ्तार**
- **02 लाख 80 हजार रूपये नगद**
- **02 चार पहिया वाहन**
- **चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 10.09.2021 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निठौरा अण्डर पास से OLX पर कार बेचने/खरीदने के बहाने धोखाधड़ी करने वाले 05 अभियुक्तों 1—सेफू उर्फ शुयेब उर्फ सैफ 2—राजा 3—जिआउल उर्फ जाहुल 4—अभिषेक 5—फखरूद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 लाख 80 हजार रूपये नगद, 02 चार पहिया वाहन, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सेफू उर्फ शुयेब उर्फ सैफ निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

2—राजा निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

3—जिआउल उर्फ जाहुल निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

4—अभिषेक निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

5—फखरूद्दीन निवासी शादीनगर रेलवे रोड आजादपुर दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1—02 लाख 80 हजार रूपये नगद।

2—02 चार पहिया वाहन।

3—चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड आदि।

<u>जनपद मथुरा/थाना कोतवाली</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **97 हजार 555 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूतेश्र्वर तिराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1—जमील उर्फ छोटे 2—आबिद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 97 हजार 555 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.08.2021 की रात्रि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 569/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जमील उर्फ छोटे निवासी कोडी कालोनी सीमापुरी थाना नन्दनगरी नई दिल्ली, हालपता भरतपुरगेट थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

2—आबिद निवासी अर्जुनपुरा डीगगेट थाना गोविन्दनगर मथुरा, हालपता भरतपुरगेट थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—97 हजार 555 रूपये नगद आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस—3

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 मोबाइल फोन**
- **लूट के 10 हजार 830 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना फेस—3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर क्लियो काउण्टी सेक्टर—121 से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—राहुल कुमार 2—अंकित कुमार 3—अवनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 मोबाइल फोन, लूट के 10 हजार 830 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अवनीश कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–3 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राहुल कुमार निवासी आदर्शनगर गुलावटी थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर।

2–अंकित कुमार निवासी भटौना थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर।

3–अवनीश कुमार निवासी धनौटा थाना खरखोंदा जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 03 मोबाइल फोन।

2–लूट के 10 हजार 830 रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 54 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, नव सृजित न्यायालय पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या–15 जनपद सीतापुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376(छ)/342/506 भादवि में अभियुक्तों 1–अशोक सिंह उर्फ छोटे सिंह 2–उपेन्द्र कुमार वर्मा को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 54 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना पिसांवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–06 जनपद सीतापुर द्वारा थाना पिसांवा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 307/504/506 भादवि में अभियुक्त राजू उर्फ राजीव कुमार को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————————